

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

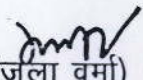
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (जी-162/88)/अलेसे-11/1093

दिनांक :- 30.08.2018

कार्यालय आदेश

निदेशालय के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.3(ख)/ निप(जी-162/88) अलेसे-11/ 2116 दिनांक 21.12.2017 द्वारा श्री गिरीराज प्रसाद, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (लिक नं. 2446) को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। श्री गिरीराज प्रसाद को निदेशालय के ज्ञापन क्रमांक 602-604 दिनांक 06.11.2017 द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये थे। श्री गिरीराज प्रसाद द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पर निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.1(सी) 1716/ जांच/ 2017/ 355-358 दिनांक 03.08.2018 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित करते हुए प्रकरण को समाप्त किया गया है। श्री गिरीराज प्रसाद के विरुद्ध अब कोई कार्यवाही बकाया नहीं होने के कारण उन्हें सेवा में तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाता है। श्री गिरीराज प्रसाद, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को निलंबन काल के नियमानुसार समस्त वेतन भत्ते देय होंगे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (जी-162/88)/अलेसे-11/1093

दिनांक :- 30.08.2018

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त प्रधान, मुख्य वन संरक्षक विभागीय कार्य, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक (विभागीय कार्य) जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय जयपुर।
4. कोषाधिकारी सचिवालय जयपुर।
5. उप निदेशक (एसीपी) वेबसाइट पर अपलोड/ पी.आई.एस. इन्द्राज हेतु।
6. निजी पत्रावली/ पदस्थापन सीट/ गोपनीय शाखा/ जांच शाखा/ रक्षित पत्रावली।
7. श्री गिरीराज प्रसाद, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 मुख्यालय जयपुर।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)